



जिला कलेक्टर  
टांक

अपीलान्त के अभिमाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिमाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर 234 में से रकबा 0.01 हे० कि० मी० बजाव वाक गाम कोटडी तहसील अलीगढ़ में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर

विद्वान अभिमाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुरुकान का निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त का उक्त आरोप ही से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है। अपीलान्त द्वारा मौके पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पॉन्डेंट जारि समान की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिमाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिमाषक की बहस सुनी गई।

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नाथब तहसीलदार साप ने अपने निर्णय दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अपीलान्त को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 234 में से रकबा 0.01 हे० कि० मी० बजाव वाक गाम कोटडी तहसील अलीगढ़ में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 100/क. पनट्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने नाथब तहसीलदार साप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

दिनांक 06.05.2026 निर्णय

उपस्थिति : (1) श्री रोमनंद गुजर, अभिमाषक अपीलान्त  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिमाषक रेस्पॉन्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नाथब तहसीलदार साप दिनांक 13.01.2026 मिसल नम्बर 582/2026  
-रेस्पॉन्डेंट  
नाथब तहसीलदार साप जिला टांक राज.

बनाम

भरतलाल पुत्र मंगधर मीना निवासी रोशनपुरा तहसील अलीगढ़ जिला टांक राज.  
-अपीलान्त

प्रकरण संख्या 22/2026  
प्रतिदि दिनांक 24.02.2026

न्यायालय जिला कलेक्टर, टांक  
(टीना डाबी, आई०पी०एस० द्वारा अस्थापित)



का  
 (लिंग विज्ञान)  
 निदेशक, स्वास्थ्य विभाग  
 का. २०२५/२०२५

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूबे न्यायालय में सुनाया गया।

खारिज किया जाता है।

कलत: अधील अधीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीप का निर्णय दिनांक 13.01.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्वगन

निर्णय में इस्तकषप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।  
 बार-बार आतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित है। अधीलान्त मीसि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मीसि पर 20.08.2025 से मीसि से बेदखल किया गया है। आतिकमी बार-बार आतिक्रमण करने का आदी आतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 144/2025 निर्णय दिनांक पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अधीलान्त ने पूर्व में भी उक्त मीसि पर तहसील अलीगढ़ पर पत्रवातवली आतिक्रमण कर सकन बना कर आतिक्रमण किया है, जो द्वारा मीसि खसरा नंबर 234 में से रकबा 0.01 है 0 किस्म बजाल वाके ग्राम कोटडी स्वय की तमील हुई है। अधीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीलान्त न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सूनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अधीलान्त की न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीलान्त को अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय की अधीलान्तीय पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ विद्वान अभिभाषक अधीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं

की जावे।

आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अधील अधीलान्त खारिज से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मीसि पर बार-बार आतिक्रमण करने का मीसि पर आतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अधीलान्त मीसि पर तमील हुई है। अधीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीलान्त ने पूर्व में भी उक्त की विधिवत नोटिस देकर सूनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अधीलान्त की विधिवत पनली कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीलान्त सकन बनाकर आतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सीप द्वारा मीसि से बेदखल करने,